भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम
(भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व का संस्थान )
मेलक्कोट्टैयूर, वंडलूर-केलंबाक्कम रोड, चेन्नै 600 127, तमिलनाडु, भारत

दूरभाष : +91 44 2747 6300 www.iiitdm.ac.in ई-मेल : recruit@iiitdm.ac.in

**No. IIITDM/NT/R/02/2025** **दिनांक 10 जुलाई 2025**

# गैर शिक्षण पदों-पर भर्ती हेतु विज्ञापन

## विज्ञापन संख्या IIITDM/NT/R/02/2025

चेन्नै का भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान कांचीपुरम (आईकांचीपुरम .एम.डी.टी.आई.आई.), वर्ष 2007 में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। यह संस्थान चेन्नै के बाहरी इलाके (चेन्नै हवाई अड्डे से लगभग 25 किमी दूर) में आईटी कॉरिडोर, औद्योगिक और शैक्षणिक संस्थानों के निकट स्थित है। आईआईआईटीडीएम कांचीपुरम निम्नलिखित नियमित पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों से गैर-शिक्षण पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है:

| क्र.सं. | पद का नाम | सातवें सीपीसी के अनुसार पे मेट्रिक्स | रिक्तियों की संख्या | | | | | | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | अना. | ओबीसी एनसीएल | एस सी | एस टी | ई.डब्ल्यू.एस. | कुल | |
| 1. | कनिष्ठ तकनीकी अधीक्षक | 06 | 01 | 01 | - | - | 01 | **03** | - |
| 2. | कनिष्ठ तकनीशियन | 03 | 05 | 03 | 02 | 01# | 02 | **13*** | *इसमें पीडब्ल्यूबीडी (ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड) का 01 पद, भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) के 02 पद शामिल हैं |
| 3. | कनिष्ठ सहायक | 03 | 04 | 04 | 01 | - | 02 | **11*** | * इसमें भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) का 01 पद शामिल है। |

# बैकलॉग रिक्ति

## पदों के लिए आवश्यक योग्यता, अनुभव और अन्य विवरण

| **1.** जूनियर तकनीकी अधीक्षक - **03** पद (वेतन स्तर - **7**वें वेतन आयोग का **06)**<br>आयु सीमा: **32** वर्ष | | |
|---|---|---|
| विभाग | पदों की संख्या | आवश्यक योग्यताएँ और अनुभव |
| कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी | **02**<br>**(**यूआर-**01,**<br>ईडब्ल्यूएस-**01)** | • किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग/सूचना प्रौद्योगिकी/कृत्रिम बुद्धिमत्ता/डेटा विज्ञान/ साइबर सुरक्षा में बी.ई./बी.टेक. और संबंधित क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव।<br>या<br>• किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान/ सूचना प्रौद्योगिकी/कृत्रिम बुद्धिमत्ता/डेटा विज्ञान/साइबर सुरक्षा में एम.एससी. डिग्री और संबंधित क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव।<br>या<br>• किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर डिग्री और संबंधित क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव।<br><br>वांछनीय अनुभव:<br>• मज़बूत प्रोग्रामिंग कौशल और शेल स्क्रिप्ट के माध्यम से कार्यों को स्वचालित करने का कौशल।<br>• ओपन-सोर्स तकनीकों के साथ कार्य करने का अनुभव।<br>• सर्वर या क्लाउड प्रशासन में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाणन।<br>• नेटवर्किंग, सुरक्षा और डिवाइस प्रबंधन का ज्ञान।<br>• वेब आधारित एप्लिकेशन/सॉफ़्टवेयर विकास में अनुभव। |
| भौतिक विज्ञान | **01**<br>ओबीसी<br>(एनसीएल) | • किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से भौतिकी/लेजर विज्ञान/इलेक्ट्रॉनिक्स/ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स/पदार्थ विज्ञान में एम.एससी. और संबंधित क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव।<br>या<br>• किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से इंजीनियरिंग भौतिकी में बी.ई/बी.टेक. और संबंधित क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव। |

| **2.** जूनियर तकनीशियन - 13 पद (7वें वेतन आयोग का वेतन स्तर-03)<br>आयु सीमा: 27 वर्ष | | |
|---|---|---|
| विभाग | पदों की सख्या | आवश्यक योग्यताएँ और अनुभव |
| कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी | **03*** **(**अनारक्षित-**01,** ओबीसी(एनसीएल)-**01,** ईडब्ल्यूएस-**01)** **[*01** पद पूर्व सैनिक के लिए निर्धारित] | • किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से कंप्यूटर इंजीनियरिंग/सूचना प्रौद्योगिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा।<br>या<br>• कंप्यूटर ट्रेड (सूचना संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली रखरखाव, सूचना प्रौद्योगिकी) में आईटीआई और संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव। |
| यांत्रिक अभियांत्रिकी | **03 *** **(**ओबीसी (एनसीएल)-**01,** ईडब्ल्यूएस-**01,** एसटी-**01#)** **[* 01** पद ईएसएम के लिए निर्धारित] | किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से मैकेनिकल/ मैन्युफैक्चरिंग/ प्रोडक्शन/ सीएडी-कैम/ मेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा। (या)<br>मैकेनिकल ट्रेड में आईटीआई (फिटर, मशीनिस्ट, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस, ऑपरेटर एडवांस्ड मशीन टूल्स, तकनीशियन मेक्ट्रोनिक्स) और संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव। |
| अभिकल्प | **03** **(**अनारक्षित-**1,** अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल)-**01,** अनुसूचित जाति-**01)** | किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय/संस्थान से मैकेनिकल/ इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार/डिज़ाइन एवं ड्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी / प्रोडक्शन/मेक्ट्रोनिक्स/ऑटोमोबाइल/इंस्ट्रूमेंटेशन एवं कंट्रोल्स इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा। (या)<br>• फिटर/मशीन/इलेक्ट्रिकल/मेक्ट्रोनिक्स ट्रेड में आईटीआई और संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव। |
| इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार अभियांत्रिकी | **02*** **(**अनारक्षित-**01,** अनुसूचित जाति-**01,)** **[*01** पद दिव्यांगजन (अस्थि विकलांग) के लिए निर्धारित]। | किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा।<br>या<br>इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड (इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम) में आईटीआई और संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव। |
| भौतिक विज्ञान | **01** **(**यूआर-**01)** | किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से भौतिकी में बी.एससी. |
| संस्थान कंप्यूटर केंद्र | **01** **(**यूआर-**01)** | किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान से कंप्यूटर इंजीनियरिंग/सूचना प्रौद्योगिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा (या) कंप्यूटर ट्रेड (सूचना संचार प्रौद्योगिकी प्रणाली रखरखाव, सूचना प्रौद्योगिकी) में आईटीआई और संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव। |

# बैकलॉग रिक्ति

| **3.** कनिष्ठ सहायक - **11*** पद [अनारक्षित-**04,** ओबीसी(एनसीएल)-**04,** एससी-**01,** ईडब्ल्यूएस-**02] (*** भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) का **01** पद शामिल है) **(7**वें वेतन आयोग का वेतन स्तर-**03),** आयु सीमा: **27** वर्ष |
|---|
| कंप्यूटर संचालन का ज्ञान और किसी स्नातक डिग्री |

## सामान्य अनुदेश

**1.** केवल पात्र भारतीय नागरिकों से ही आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। **आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन (संस्थान की वेबसाइट** www.iiitdm.ac.in **पर उपलब्ध) जमा करना होगा और उसमें दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा। एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को प्रत्येक पद के लिए अलग से आवेदन/शुल्क जमा करना होगा।** आवेदन के समर्थन में संलग्नक, यदि कोई हों, तो उन्हें आवेदन पत्र के साथ अलग से दस्तावेज़ (पीडीएफ) के रूप में अपलोड करना होगा।

**2. वे उम्मीदवार जो योग्यता डिग्री/डिप्लोमा परीक्षा आदि में उपस्थित हुए हैं और जिनके परिणाम घोषित नहीं हुए हैं/आवेदन जमा करने की तिथि तक उनके पास डिग्री/अनंतिम प्रमाण पत्र नहीं है, वे आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। पद के लिए आवश्यक अनुभव का निर्धारण करने के लिए केवल आवश्यक योग्यता के बाद के अनुभव को ही ध्यान में रखा जाएगा।**

**3.** आवेदकों से अनुरोध है कि वे सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सुनिश्चित करें कि वे सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/ट्रेड टेस्ट सहित भर्ती के सभी चरणों में उनका प्रवेश पूरी तरह से अनंतिम होगा और अंतिम चयन पात्रता शर्तों को पूरा करने और वैध जाति और अन्य प्रमाण पत्रों पर निर्भर है।

**4.** अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, वैध जाति प्रमाण पत्र, पीडब्ल्यूबीडी प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम), अनुभव और ऑनलाइन भुगतान आदि का विवरण सहित सभी आवश्यक विवरण सावधानीपूर्वक भरकर अपलोड करना चाहिए, क्योंकि बाद में विवरण में परिवर्तन के संबंध में कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि किसी भी स्तर पर उनका कोई भी दावा गलत पाया जाता है, तो इससे उनकी उम्मीदवारी अस्वीकार कर दी जाएगी। आवेदकों को आवेदन में अपना सही और सक्रिय ई-मेल पता अवश्य लिखना चाहिए, क्योंकि सभी पत्राचार केवल आवेदक के पंजीकृत ई-मेल के माध्यम से ही किए जाएंगे।

**5. आयु सीमा, अनुभव और सभी संबंधित मामलों के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण तिथि आवेदन की अंतिम तिथि होगी।**

**6.** प्राप्त योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से होनी चाहिए।

**7.** भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल/भूतपूर्व सैनिक/पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के मामले में आयु में छूट दी जाएगी। जो उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र में अपना समुदाय एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल/ईडब्ल्यूएस दर्शाते हैं, लेकिन आवेदन के समय निर्धारित प्रारूप में वैध समुदाय प्रमाण पत्र संलग्न/अपलोड नहीं करते हैं, उन्हें आरक्षित पद के लिए नहीं माना जाएगा और उन्हें सामान्य श्रेणी के तहत माना जा सकता है बशर्ते वे सामान्य उम्मीदवारों के मानदंडों को पूरा करते हों जो उन पर लागू होते हैं। अनारक्षित रिक्तियों वाले अधिसूचित पदों के लिए आवेदन करने वाले एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल उम्मीदवारों के लिए कोई आयु छूट उपलब्ध नहीं है। **IIITDM** कांचीपुरम के कर्मचारियों के लिए पदों पर आवेदन करने के लिए आयु का कोई प्रतिबंध नहीं है।

**8.** बेंचमार्क विकलांग व्यक्ति (**PwBD)** और पूर्व सैनिक (**ESM)** के लिए आरक्षित पदों को क्षैतिज आरक्षण द्वारा समायोजित किया जाएगा, अर्थात चयनित उम्मीदवारों को एससी/एसटी/ओबीसी-एनसीएल/यूआर/ईडब्ल्यूएस की श्रेणियों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा

**9.** आईआईआईटीडीएम कांचीपुरम एक ऐसा कार्यबल बनाने का प्रयास करता है जो लैंगिक संतुलन को प्रतिबिंबित करता हो; इसलिए, योग्य महिला आवेदकों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

10. अपूर्ण आवेदन या बिना प्रासंगिक संलग्नकों वाले आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएँगे और उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन जमा करने के साथ अपनी उम्मीदवारी के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे। उम्मीदवार ध्यान दें कि इस संबंध में किसी भी अंतरिम पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही उसका उत्तर दिया जाएगा। इसके अलावा, पात्रता संबंधी पूछताछ पर भी विचार नहीं किया जाएगा।

**11.** भर्ती प्रक्रिया के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को अपने खर्चे पर इसमें शामिल होना होगा। लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/ट्रेड टेस्ट में शामिल होने के लिए कोई टीए/डीए लागू नहीं होगा।

**12.** दर्शाई गई निर्धारित आवश्यक योग्यताएँ/अनुभव न्यूनतम हैं और इनके होने मात्र से उम्मीदवार को स्क्रीनिंग परीक्षा/लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा के लिए बुलाए जाने का अधिकार नहीं होगा। स्क्रीनिंग समिति द्वारा अपनाए गए शॉर्टलिस्टिंग मानदंडों के आधार पर उम्मीदवारों को संस्थान शॉर्टलिस्ट करेगा। विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम से अधिक योग्यता और अनुभव के आधार पर लिखित परीक्षा/कौशल परीक्षा/ट्रेड टेस्ट के लिए उम्मीदवारों की संख्या को उचित सीमा तक सीमित करने का अधिकार संस्थान सुरक्षित रखता है।

13. आवेदन पत्रों की जांच प्रथम दृष्टया उम्मीदवार द्वारा आवेदन में दिए गए दस्तावेजों और सूचनाओं के आधार पर की जाएगी। भर्ती/नियुक्ति के किसी भी चरण में आवेदन में दी गई जानकारी और सहायक दस्तावेजों द्वारा सत्यापित जानकारी के बीच कोई भी विसंगति पाए जाने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए, आवेदन में दी गई जानकारी की सत्यता के लिए उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार होगा। आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी जो गलत/झूठी/तथ्य को छिपाया गया हो, उम्मीदवारी को अयोग्य घोषित कर देगी। शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया में शामिल समिति का निर्णय अंतिम होगा। शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया के संबंध में उम्मीदवार से कोई अंतरिम पत्राचार/पूछताछ स्वीकार नहीं की जाएगी।
14. स्क्रीनिंग/चयन की प्रक्रिया में किसी भी अनजाने में हुई गलती के मामले में, जो नियुक्ति प्रस्ताव जारी होने के बाद भी किसी भी स्तर पर पाई जा सकती है, संस्थान उस संबंध में आवेदकों को किए गए किसी भी सूचना को वापस लेने/रद्द करने/संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
15. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की आवेदन संख्या संस्थान की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। कोई अलग से व्यक्तिगत सूचना नहीं भेजी जाएगी। इसके अलावा, चयन, परीक्षा/कौशल परीक्षा, कार्यक्रम आदि से संबंधित सभी जानकारी भी संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से ही प्रदर्शित की जाएगी। यदि कोई उम्मीदवार समय पर वेबसाइट देखने/पहुँचने में विफल रहता है, तो संस्थान किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। इस विज्ञापन के संबंध में कोई भी परिशिष्ट/शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, केवल संस्थान की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे भर्ती से संबंधित अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से संस्थान की वेबसाइट www.iiitdm.ac.in देखें।
16. सभी नियुक्तियाँ, यथास्थिति, विधिवत गठित चयन समितियों की सिफारिशों के आधार पर, संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स (BoG)/निदेशक द्वारा की जाएँगी। वेतन विज्ञापित पद के प्रारंभिक वेतन स्तर पर निर्धारित किया जाएगा। वेतन संरक्षण के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
17. नई पेंशन योजना (NPS) संस्थान के उन सभी स्थायी कर्मचारियों पर लागू होगी जो 01.01.2004 को या उसके बाद नियमित पद पर कार्यभार ग्रहण करते हैं, जो इस योजना को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन हैं।
18. "क्रीमी लेयर" से संबंधित ओबीसी उम्मीदवार आरक्षण में छूट के हकदार नहीं हैं। गैर-क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार केवल ओबीसी (एनसीएल) आरक्षण के पात्र हैं और ओबीसी (एनसीएल) लाभ प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों को **01.04.2025** को या उसके बाद प्राप्त **वैध ओबीसी (एनसीएल) प्रमाण पत्र** अपलोड करना होगा। प्रमाण पत्र आवेदन जमा करने की तिथि तक वैध होना चाहिए। **[अनुबंध-ए देखें]**
19. एससी/एसटी उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में अपना समुदाय प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक है। **[अनुबंध-बी देखें]**
20. ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों को 01.04.2025 को या उसके बाद प्राप्त वैध ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। **[अनुबंध-सी देखें]**
21. बेंचमार्क विकलांगता (पीडब्ल्यूबीडी) वाले व्यक्तियों को भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से सक्षम चिकित्सा अधिकारियों द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में विकलांगता/चिकित्सा प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। **[अनुलग्नक-डी देखें]**
22. वे पूर्व सैनिक जो पुनर्नियुक्ति के लिए पूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के बाद नियमित आधार पर केंद्र/राज्य सरकार/स्वायत्त निकायों/बैंकों आदि के अंतर्गत समूह 'सी' पदों पर सिविल सेवा में रोजगार प्राप्त कर चुके हैं, वे पूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ लेने के पात्र नहीं हैं। हालाँकि, वे आयु सीमा में छूट के पात्र हैं।
23. सभी पूर्व सैनिक (ईएसएम) जो ईएसएम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें निर्धारित प्रारूप में एक वचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी **[अनुलग्नक-ई देखें]** और सेवामुक्ति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। सेवारत सैन्य कर्मियों को एक वचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी **[अनुलग्नक-एफ देखें]।**
24. सरकारी/अर्ध-सरकारी/स्वायत्त संस्थानों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सेवारत व्यक्तियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और लिखित परीक्षा से पहले दस्तावेज़ सत्यापन के समय अपने वर्तमान नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उन्हें लिखित परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। **[अनुलग्नक-जी देखें]।**
25. यदि कोई दस्तावेज/प्रमाणपत्र हिंदी/अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत किया गया है, तो राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित उसकी प्रतिलिपि उस प्रमाण पत्र के साथ अपलोड की जानी है।

26. **चयन का तरीका**:

क. चुने गए उम्मीदवारों को स्क्रीनिंग टेस्ट देना होगा और संस्थान द्वारा निर्धारित न्यूनतम कट-ऑफ अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार लिखित परीक्षा और ट्रेड टेस्ट/कौशल परीक्षा/कंप्यूटर दक्षता परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।

ख. स्क्रीनिंग टेस्ट, लिखित परीक्षा, ट्रेड टेस्ट/कंप्यूटर दक्षता परीक्षा का पाठ्यक्रम और विस्तृत योजना संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।

27. **कदाचार के दोषी पाए गए आवेदकों के विरुद्ध कार्रवाई**: आवेदकों को चेतावनी दी जाती है कि वे आवेदन पत्र भरते समय कोई भी गलत विवरण न दें या कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी न छिपाएँ। आवेदकों को यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे किसी भी स्थिति में किसी दस्तावेज़ या उनके द्वारा प्रस्तुत सत्यापित प्रति में किसी भी प्रविष्टि को बदलने या अन्यथा छेड़छाड़ करने का प्रयास न करें और न ही कोई छेड़छाड़ किया हुआ/मनगढ़ंत दस्तावेज़ प्रस्तुत करें। आपराधिक कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना, जहाँ भी आवश्यक हो, भर्ती के किसी भी चरण में उनकी उम्मीदवारी को सरसरी तौर पर रद्द/निषेधित कर दिया जाएगा।

28. किसी भी रूप में अपनी पहुँच का उपयोग करना पद के लिए अयोग्यता माना जाएगा।

29. कोई भी व्यक्ति, (i) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसका जीवनसाथी जीवित हो; या (ii) जिसका जीवनसाथी जीवित हो, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया हो, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

30. आवेदक किसी भी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं किया गया हो।

31. चयन/भर्ती प्रक्रिया से संबंधित कोई भी विवाद चेंगलपट्टू जिले के न्यायालयों पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के अधीन होगा।

32. **आवेदन शुल्क**: आवेदकों को एसबीआई ई-कलेक्ट पोर्टल के माध्यम से प्रति पद 500/- रुपये का गैर-वापसी योग्य आवेदन शुल्क देना होगा।

(क) निम्नलिखित लिंक पर जाएँ: https://www.onlinesbi.sbi/sbicollect/icollecthome.htm।

(ख) ड्रॉप-डाउन सूची से, चुनें: **"IIITDM -KANCHEEPURAM A/C"।**

(ग) भुगतान श्रेणी **"गैर-शिक्षण भर्ती"** चुनें, विवरण भरें और भुगतान के लिए आगे बढ़ें।

भुगतान हो जाने के बाद, शुल्क भुगतान रसीद की स्कैन की गई प्रति भर्ती पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपलोड करनी होगी। भुगतान का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा। भुगतान विफलता/विवरणों के मेल न खाने की स्थिति में आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। विज्ञापित ईएसएम पदों के लिए आवेदन करने वाली महिला उम्मीदवारों, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूबीडी) और भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) को शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। किसी भी परिस्थिति में आवेदन शुल्क वापस या पुनर्समायोजित नहीं किया जाएगा। अपेक्षित शुल्क के बिना जमा किए गए ऑनलाइन आवेदन को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

33. संस्थान बिना कोई कारण बताए पदों को न भरने, विज्ञापन को पूर्णतः या आंशिक रूप से रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और इस संबंध में संस्थान का निर्णय अंतिम होगा और संस्थान आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

34. किसी भी सिस्टम त्रुटि या अन्य कारणों से आवेदक द्वारा अंतिम तिथि तक अपना ऑनलाइन आवेदन जमा न कर पाने के कारण होने वाली किसी भी देरी के लिए संस्थान उत्तरदायी नहीं होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय की हड़बड़ी से बचें और समय से पहले आवेदन जमा कर दें।

| | |
|---|---|
| ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल खुलने की तिथि | 14-07-2025 |
| ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बंद होने की तिथि | 14-08-2025 ; रात्रि 08.00 बजे |

आवेदन की हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं है।

**कुलसचिव**

**ध्यान दें: हिंदी पाठ में किसी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर अंग्रेजी पाठ को मान्य और अंतिम माना जाएगा।**

अनुलग्नक ए

**अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र का प्रारूप**

**भारत सरकार के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति/केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों (सीईआई) में प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र प्रपत्र**

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी----------सुपुत्र/सुपुत्री----------
राज्य ----------के गाँव/कस्बा---------- जिला/मंडल ----------के निवासी हैं और निम्नलिखित के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त समुदाय से संबंधित हैं:

(i) संकल्प संख्या 12011/68/93-बीसीसी(सी) दिनांक 10/09/93, भारत के राजपत्र असाधारण भाग । खंड । संख्या 186 दिनांक 13/09/93 में प्रकाशित।
(ii) संकल्प संख्या 12011/9/94-बीसीसी दिनांक 19/10/94 भारत के राजपत्र असाधारण भाग । खंड । संख्या 163 दिनांक 20/10/94 में प्रकाशित।
(iii) संकल्प संख्या 12011/7/95-बीसीसी दिनांक 24/05/95 भारत के राजपत्र असाधारण भाग । खंड । संख्या 88 दिनांक 25/05/95 में प्रकाशित।
(iv) संकल्प संख्या 12011/96/94-बीसीसी दिनांक 9/03/96।
(v) संकल्प संख्या 12011/44/96-बीसीसी दिनांक 6/12/96 भारत के राजपत्र असाधारण भाग । खंड । संख्या 210 दिनांक 11/12/96 में प्रकाशित।
(vi) संकल्प संख्या 12011/13/97-बीसीसी दिनांक 03/12/97।
(vii) संकल्प संख्या 12011/99/94-बीसीसी दिनांक 11/12/97।
(viii) संकल्प संख्या 12011/68/98-बीसीसी दिनांक 27/10/99।
(ix) संकल्प संख्या 12011/88/98-बीसीसी दिनांक 6/12/99 भारत के राजपत्र असाधारण भाग । खंड । संख्या 270 दिनांक 06/12/99 में प्रकाशित।
(x) संकल्प संख्या 12011/36/99-बीसीसी दिनांक 04/04/2000 भारत के राजपत्र असाधारण भाग । खंड । संख्या 71 दिनांक 04/04/2000 में प्रकाशित।
(xi) संकल्प संख्या 12011/44/99-बीसीसी दिनांक 21/09/2000, भारत के राजपत्र असाधारण भाग । खंड । संख्या 210 दिनांक 21/09/2000 में प्रकाशित।
(xii) संकल्प संख्या 12016/9/2000-बीसीसी दिनांक 06/09/2001। (xiii) संकल्प संख्या 12011/1/2001-बीसीसी दिनांक 19/06/2003।
(xiv) संकल्प संख्या 12011/4/2002-बीसीसी दिनांक 13/01/2004।
(xv) संकल्प संख्या 12011/9/2004-बीसीसी दिनांक 16/01/2006, भारत के राजपत्र असाधारण भाग । खंड । संख्या 210 दिनांक 16/01/2006 में प्रकाशित। (xvi) संकल्प संख्या 12015/2/2007-बीसीसी दिनांक 18/08/2010। (xvii) संकल्प संख्या 12015/2/2007-बीसीसी दिनांक 11/10/2010।
(xviii) संकल्प संख्या 12015/13/2010-बीसी-II दिनांक 08/12/2011।
(xix) संकल्प संख्या 12015/05/2011-बीसी-II दिनांक 17/02/2014।
(xx) संकल्प संख्या 12011/6/2014-बीसी-II दिनांक 07/12/2016।

श्री/श्रीमती/कुमारी ----------और/या उनका परिवार सामान्यतः ----------राज्य के ----------जिले/संभाग में निवास करते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08/09/93 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था.(एससीटी) की अनुसूची के स्तंभ 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है, जिसे दिनांक 09/03/2004 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/3/2004 स्था.(निवास) द्वारा संशोधित किया गया है।

दिनांक: जिला मजिस्ट्रेट/उप आयुक्त, आदि।

मुहर

ध्यान दें:

(क) यहाँ प्रयुक्त शब्द 'सामान्यतः' का वही अर्थ होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

(ख) जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी नीचे दिए गए हैं:

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/उप कलेक्टर/प्रथम श्रेणी वजीफा प्राप्त मजिस्ट्रेट/उप-मंडल मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यपालक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त (प्रथम श्रेणी वजीफा प्राप्त मजिस्ट्रेट के पद से नीचे का न हो)।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो और

(iv) उस क्षेत्र का उप-मंडल अधिकारी जहाँ उम्मीदवार और/या उसका परिवार रहता हो।

## अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र हेतु प्रारूप

जो अभ्यर्थी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में से किसी एक का सदस्य होने का दावा करता है, उसे अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रारूप में उस जिले के जिला अधिकारी या उप-मंडल अधिकारी या नीचे दिए गए किसी अन्य अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित/प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी, जहाँ उसके माता-पिता (या जीवित माता-पिता) सामान्यतः निवास करते हैं और जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी के रूप में नामित किया गया हो। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई है, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जहाँ अभ्यर्थी स्वयं अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अलावा सामान्यतः निवास करता है। जहाँ भी फोटोग्राफ प्रमाण पत्र का एक अभिन्न अंग है, आयोग ऐसे प्रमाण पत्रों की केवल सत्यापित फोटोकॉपी ही स्वीकार करेगा, किसी अन्य सत्यापित या सत्य प्रति को नहीं।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* ----------सुपुत्र/सुपुत्री---------- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*---------- के *जिला/संभाग* ---------- के ---------- गाँव/कस्बे/*---------- की ----------जाति/जनजाति के हैं जिसे निम्नलिखित के अंतर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश, 1950
संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) आदेश, 1950
संविधान (अनुसूचित जातियाँ) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951 *
संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*

अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ सूची (संशोधन) आदेश, 1956, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन अधिनियम), 1976* द्वारा संशोधित।
संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962। संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962@। संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964@
संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967@ संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968@ संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968@ संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश 1978@
संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश 1978@
संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश 1989@ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990@
संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश 1991@ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991@ संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश 1996
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002। संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002। संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002। संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 2007।
%2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उन व्यक्तियों के मामले में लागू जो किसी एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवासित हुए हैं।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी* ---------- सुपुत्र/सुपुत्री श्री/श्रीमती/कुमारी----------
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश* ----------के ज़िले/मंडल*----------
* गाँव/कस्बे* ----------को जारी किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो ----------जाति/जनजाति से संबंधित हैं और यह राज्य/केंद्र शासित प्रदेश* ----------
के ---------- दिनांक ---------- को जारी----------के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

स्थान हस्ताक्षर
दिनांक पदनाम व मुहर

* कृपया जो लागू न हो उसे काट दें।
@ कृपया संबंधित राष्ट्रपति ओदश का उल्लेख करें।
% कृपया जो लागू न हो उस पैरा को काट दें।

ध्यान दें : यहाँ प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः निवास करते हैं" का वही अर्थ होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

** **जाति/जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत प्राधिकारियों की सूची**:

(i) जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / उप कलेक्टर / प्रथम श्रेणी वजीफा प्राप्त मजिस्ट्रेट/उप-मंडल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट।
(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
(iii) राजस्व अधिकारी, जो तहसीलदार के पद से नीचे के न हों।
(iv) उस क्षेत्र के उप-मंडल अधिकारी जहाँ उम्मीदवार और/या उसका परिवार सामान्यतः निवास करता है।

ध्यान दें : तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को केवल **राजस्व संभागीय अधिकारी** से ही जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

अनुलग्नक सी

## आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र संख्या ---------- दिनांक:----------

----------वर्ष के लिए मान्य

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ----------पुत्र/पुत्री/पत्नी----------
ग्राम/गली----------डाकघर----------जिला----------राज्य/केंद्र शासित प्रदेश---------- पिन कोड ----------के स्थायी निवासी हैं और उनकी फोटो नीचे अनुप्रमाणित है तथा वे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के हैं, क्योंकि उनके/उनके परिवार की सकल वार्षिक आय* वित्तीय वर्ष के लिए 8.00 लाख रुपये (मात्र आठ लाख रुपये) से कम है।

उनके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति नहीं है***:

(i) 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि।

(ii) 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट।

(iii) अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

(iv) अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी उस जाति से संबंधित हैं जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केन्द्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

हस्ताक्षर व मुहर
नाम व पदनाम

| हाल ही का पासपोर्ट आकार का फोटो |
|---|

* ध्यान दें 1: आय में सभी स्रोत शामिल हैं, जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा, आदि।

** ध्यान दें 2: इस प्रयोजन के लिए 'परिवार' शब्द में आरक्षण का लाभ चाहने वाला व्यक्ति, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन, साथ ही उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे शामिल हैं।

*** ध्यान दें 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय "परिवार" द्वारा विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में धारित संपत्ति को एक साथ जोड़ दिया गया है।

अनुलग्नक डी

## भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र का प्रारूप

1. संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण-पत्र सं.: तारीख:

विकलांगता प्रमाण पत्र

उम्मीदवार की विकलांगता दर्शाने वाली नवीनतम तस्वीर, जिसे मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया हो।

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*---------- पुत्र/पुत्री*----------

आयु ----------वर्ष, पंजीकरण संख्या----------चलन विकलांगता/ मस्तिष्क पक्षाघात/ अंधापन/ अल्प दृष्टि/ श्रवण बाधित/ अन्य विकलांगता* से पीड़ित हैं और कम से कम --------% ( ---------- ) की विकलांगता से पीड़ित हैं।

ए. गति-संचालन या मस्तिष्क पक्षाघात:

(i) बीएल–दोनों पैर प्रभावित, लेकिन हाथ नहीं

(ii) बीए–दोनों हाथ प्रभावित (क) पहुँच में कमी

(बी) पकड़ में कमजोरी

(iii) बीएलए–दोनों पैर और दोनों हाथ प्रभावित

(iv) ओएल–एक पैर प्रभावित (दायाँ या बायाँ) (क) पहुँच में कमी

(बी) पकड़ में कमजोरी

(सी) अटैक्सिक

(v) क्यूए–एक हाथ प्रभावित (दायाँ या बायाँ) (क) पहुँच में कमी

(बी) पकड़ में कमजोरी

(सी) अटैक्सिक

(vi) बीएच–पीठ और कूल्हों में अकड़न (बैठ या झुक नहीं सकते)

(vii) एमडब्ल्यू–मांसपेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति। ख. अंधापन या कम

B. दृष्टि:

(i) B–अंधे

(ii) PB–आंशिक रूप से अंधे

सी. श्रवण बाधित: (i) D–बधिर

(ii) PD–आंशिक रूप से बधिर

(जो श्रेणी लागू न हो उसे काट दें)

2. यह स्थिति प्रगतिशील/गैर-प्रगतिशील/सुधार की संभावना/सुधार की संभावना नहीं है। इस मामले का पुनर्मूल्यांकन वर्षों/महीनों की अवधि के बाद अनुशंसित नहीं है/अनुशंसित है। *

3. उनके मामले में विकलांगता का प्रतिशत ----------प्रतिशत है।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं:

(i) F–उंगलियों से संचालन करके कार्य कर सकते हैं। हाँ/नहीं

(ii) PP–खींचकर और धकेलकर कार्य कर सकते हैं। हाँ/नहीं

(iii) L–उठाकर कार्य कर सकते हैं। हाँ/नहीं

(iv) KC–घुटने टेककर और उकड़ू बैठकर कार्य कर सकते हैं। हाँ/नहीं

(v) B–झुककर कार्य कर सकते हैं। हाँ/नहीं

(vi) S–बैठकर कार्य कर सकते हैं। हाँ/नहीं

(vii) ST–खड़े होकर कार्य कर सकते हैं। हाँ/नहीं

(viii) W–चलकर कार्य कर सकते हैं। हाँ/नहीं

(ix) SE–देखकर कार्य कर सकते हैं। हाँ/नहीं

(x) H–सुनकर/बोलकर काम कर सकते हैं। हाँ/नहीं

(xi) RW–पढ़कर और लिखकर काम कर सकते हैं। हाँ/नहीं

| (डॉक्टर) | (डॉक्टर) | (डॉक्टर) |
|---|---|---|
| मेडिकल बोर्ड के सदस्य | मेडिकल बोर्ड के सदस्य | मेडिकल बोर्ड के सदस्य |

चिकित्सा अधीक्षक/सीएमओ/अस्पताल प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित (मुहर सहित)

जो लागू न हो उसे काट दें

# पूर्व सैनिकों द्वारा दिया जाने वाला वचन

मैं .....,अनुक्रमांक.....,आईआईआईटीडीएम कांचीपुरम, गैर-शिक्षण भर्ती परीक्षा, 2025 में उपस्थित हो रहा/रही हूँ और एतद्द्वारा वचन देता/देती हूँ कि:

(क) मैं समय-समय पर संशोधित केंद्रीय सिविल सेवाओं एवं पदों में पूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन नियम, 1979 के अनुसार पूर्व सैनिकों को मिलने वाले लाभों का हकदार हूँ।

(ख) मैंने भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्नियुक्ति के लिए दिए गए आरक्षण का लाभ लेने के बाद नियमित आधार पर समूह 'ग' और 'घ' पदों पर सिविल सेवा (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि सहित) में सरकारी नौकरी ज्वाइन नहीं की है; या

(ग) मैंने सिविल सेवा में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ लिया है। मैंने के कार्यालय में .....के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। इसलिए, मैं केवल आयु-छूट के लिए पात्र हूँ;

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त कथन मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण और सही हैं। मैं समझता/समझती हूँ कि किसी भी स्तर पर कोई भी जानकारी गलत या असत्य पाए जाने की स्थिति में, मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति रद्द/समाप्त की जा सकती है।

हस्ताक्षर: .....

नाम: .....

रोल नंबर: .....

दिनांक: .....

सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तारीख: .....

सेवामुक्ति की तारीख: .....

अंतिम यूनिट/कोर: .....

मोबाइल नंबर: .....

ईमेल आईडी: .....

अनुलग्नक एफ

## सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाण पत्र का प्रारूप

मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, क्रमांक---------- पद----------नाम---------- सशस्त्र बलों में अपनी नियुक्ति का निर्दिष्ट कार्यकाल ---------- (दिनांक) को पूरा होने वाला है।

स्थान: कमांडिंग ऑफिसर के हस्ताक्षर

दिनांक: कार्यालय की मुहर:

अनुलग्नक जी

## वर्तमान नियोक्ता द्वारा समर्थन

अग्रेषित

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना एवं
विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम, चेन्नै - 600 127

आवेदक डॉ./श्री/श्रीमती/सुश्री ..... ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम में ..... के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है और ये इस संगठन यानी ..... में वेतनमान/वेतन रु. ..... में अस्थायी/अनुबंध/स्थायी कर्मचारी के रूप में काम करते हैं और इनका मूलवेतन ..... है।

इनका चयन होने पर इन्हें वर्तमान पद ..... से मुक्त कर दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त आवेदक के विरुद्ध कभी भी कोई न्यायालयीन/अनुशासनात्मक/सतर्कता मामला नहीं चलाया गया है, न ही विचाराधीन है और न ही लंबित है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान, कांचीपुरम, तमिलनाडु द्वारा उसके आवेदन पर विचार किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

दिनांक:

स्थान: अग्रेषण करने वाले के हस्ताक्षर

मुहर: